रामप्यारी बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 270/2024

नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.08.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया की बहस प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया की ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा भूअभिनि, क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हाल खाता संख्या 53 की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 516 रकबा 0.71 है0, मे प्रार्थीया का 67/1440 व प्रार्थीया के पति स्व० श्री चौथूराम का हिस्सा 1373/1440 राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। उक्त आराजियात मे प्रार्थीया के पति का नाम चौथूराम के स्थान पर चौथमल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थीया के पति का नाम चौथूराम है उक्त खाता मे प्रार्थीया के पति के हिस्से मे प्रार्थीया के पति का नाम चौथूराम सही अंकित किया है जबकि उक्त खाते मे प्रार्थीया के हिस्से मे प्रार्थीया के पति का नाम चौथमल अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीया के पति का नाम चौथमल के स्थान पर चौथूराम करने के लिए प्रार्थीया ने अप्रार्थी के यहा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी ने कहा कि उक्त दुरूस्ती के लिए आपको श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडेगां। इस कारण प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय मे पेश करना लाजमी हुआ। चौथूराम व चौथमल एक ही व्यक्ति है परन्तु भूप्रबन्द कर्मचारीयो के द्वारा सहवन से प्रार्थीया के पति का नाम चौथमल राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक [illegible] ही प्रार्थीया के पति का नाम चौथमल के स्थान पर चौथूराम [illegible] से प्रार्थीया को न्याय मिलेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खाता सख्या 53 की आराजी कृषि भूमि खसरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

2024

रामप्यारी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः ..../2024

न0 516 रकबा 0.71 है० ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थीया के हिस्से मे प्रार्थीया के पति का नाम "रामप्यारी देवी पत्नी चौथमल के स्थान पर रामप्यारी देवी पत्नी चौथूराम" किये जाने के आदेश फरमाने की करे।

बहस प्रार्थीया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सख्या 53 की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 516 रकबा 0.71 है० में प्रार्थीया के हिस्से मे प्रार्थीया के पति का नाम "रामप्यारी देवी पत्नी चौथमल के स्थान पर रामप्यारी देवी पत्नी चौथूराम" किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:32 IST
Reason: SelfAttested